पीपुल्स समाचार, भोपाल
6 JAN 2011

अब शायद लग सके भ्रष्टाचार पर रोक

उम्मीद करना चाहिए कि यह कानून कारगर सिद्ध होगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

जब देश में एक के बाद एक घोटाले उजागर हो रहे हैं और जनता इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारा भारत आखिर जा किस दिशा में रहा है, ऐसे दौर में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। उनकी कैबिनेट ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक 2011 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। यह कानून निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों सहित सभी लोकसेवकों पर लागू होगा। इस विधेयक के अस्तित्व में आने पर सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री और पंचायत सचिव से लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव तक इसके दायरे में आ जाएंगे। जब किसी लोकसेवक पर यह आरोप सिद्ध हो जाएगा कि उसने भ्रष्ट तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को राजसात करते हुए उसका उपयोग स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाएगा। इस संबंध में अंतिम निराकरण होने तक ऐसी संपत्ति को अस्थाई रूप से तथा आपराधिक प्रकरण में लोकसेवक के दोषी पाए जाने पर पूर्ण रूप से संपत्ति का अधिहरण राज्य शासन का हो सकेगा।

लेकिन लोगों के जेहन में अभी भी एक सवाल है कि कहीं इस कानून का हश्र भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बने अन्य कानूनों की तरह ना हो, कि पचास रुपए की रिश्वत लेने वाला तो जेल जाए और करोड़ों रुपए डकार जाने वाले सीना फुलाये घूमें। कारण यह है कि अभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारे यहां कई एजेंसियां हैं, पर जो सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं उनके पास कार्रवाई के अधिकार नहीं हैं और जिनके पास अधिकार हैं वह स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इसीलिए भ्रष्टाचार अपनी जगह ना सिर्फ कायम है, बल्कि तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब एक अच्छी शुरुआत हो रही है तब हमें बिना किसी किंतु-परंतु के यह उम्मीद करना चाहिए कि जिस मंशा के साथ शिवराज सिंह चौहान इस विधेयक को ला रहे हैं, उस पर यह हमेशा कायम रहेगा और भविष्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक कारगर हथियार बनेगा। उम्मीद करना चाहिए कि ऐसा अवश्य होगा।